

किसान सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री की कल्याणकारी पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने **किसान सम्मान नधि** की दूसरी कसित के रूप में 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 700 करोड़ रुपए हस्तांतरित किये तथा 3.25 लाख पशुपालकों को 5 रुपए प्रतिलीटर दूध की सहायता के रूप में 200 करोड़ रुपए जमा किये।

मुख्य बटु

- **किसानों को परत्यक्ष लाभ अंतरण:**
 - **परत्यक्ष लाभ हस्तांतरण** के अंतर्गत **डरपि एवं सप्रकिलर सचिाई उपकरणों** के लिये 15,983 किसानों को 29 करोड़ रुपए हस्तांतरित किये गए।
 - बाड़ लगाने, पाइपलाइन बछिाने, खेत तालाब नरिमाण, जैवकि खाद और कृषा उपकरण जैसी गतविधियों के लिये 14,200 किसानों को 96 करोड़ रुपए वतितरित किये गए।
 - **8,000 सौर पंपों** की स्थापना के लिये 80 करोड़ रुपए आवंटित।
- **प्रगतशील किसानों को मान्यता:**
 - मुख्यमंत्री ने केंद्र प्रायोजति **ATMA योजना** के तहत 10 नवोन्मेषी किसानों को सम्मानित किये।
- **कृषा में नविश:**
 - जयपुर में आयोजति **राइजगि राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समटि** के दौरान कृषा में 58,000 करोड़ रुपए के नविश के लिये 2,500 समझौता जज्ञापनों पर हस्ताकषर किये गए।
- **किसान कल्याण हेतु प्रमुख नरिणय:**
 - 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण का वतितरण।
 - आठ लाख मुदा स्वास्थय कार्ड जारी किये गये।
 - 26,000 सौर संयंत्रों की स्थापना।
 - 31 स्थानों पर फूड पार्कों के लिये भूमिका आवंटन।
 - **नयूनतम समरथन मूलय (MSP)** पर गेहूँ, मूँग, मूँगफली और सरसों की खरीद।
- **नई योजनाओं का शुभारंभ:**
 - **पशुधन बीमा योजना** शुरू की गई।
 - **ऊँट संरक्षण** एवं वकिसा मशिन की घोषणा की गई।
 - 100 गोशालाओं में **गोबर जलाने वाली मशीनें लगाने का** कार्य आरंभ किये गया।
 - 1,000 नये दूध संग्रहण केंद्रों का शुभारंभ किये गया तथा 200 नये बल्क मलिक कूलर स्थापति किये गये।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान नधि (पीएम-किसान)

- **परचिय:**
 - इसे भूमधारक किसानों की वतित्तीय आवश्यकताओं की पूरतिके लिये **24 फरवरी, 2019 को लॉन्च किये गया था।**
- **वतित्तीय लाभ:**
 - देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में **परत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** के माध्यम से हर चार महीने में तीन बराबर कसितों में **6000 रुपए प्रतिविरष** की वतित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाती है।
- **योजना का दायरा:**
 - यह योजना शुरू में **2 हेक्टेयर तक भूमिवाले छोटे और सीमांत किसानों (SMF) के लिये थी,** लेकिन योजना का दायरा **बढाकर सभी भूमधारक किसानों को इसमें शामिल कर लिया गया।**
- **वतित्तपोषण और कार्यानवयन:**
 - यह एक **केंद्रीय कषेत्र की योजना** है जिसका 100% वतित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किये जाता है।
 - इसका क्रयानवयन **कृषा एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किये जा रहा है।**
- **उद्देशय:**
 - प्रत्येक फसल चक्र के अंत में **प्रत्याशति कृषा आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थय और उपयुक्त उपज सुनश्चिति करने के लिये**

- वभिन्न इनपुट प्राप्त करने में छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना ।
- उन्हें ऐसे व्यय को पूरा करने के लिये साहूकारों के चंगुल में फँसने से बचाना तथा कृषिगतविधियों में उनकी नरितरता सुनश्चिति करना ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rajasthan-cms-welfare-initiatives-at-kisan-sammelan>

